श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय)
जोबनेर, जिला जयपुर (राज.) 303329
फोन नं. 01425–254022 (का.), ई–मेल: dean.sknco a@sknau.ac.in
वेबसाइट: https://skncoa.sknau.ac.in

क्रमांक: Horti. /श्रीकनकृमवि/2026/1952 दिनांक: 18/11/2026

कार्य–आदेश

M/s Naga Agro Agency
Dhani Nagan,Jobner,Jaipur
Jaipur Rajasthan, 303328
Mobile No. : 9414079700

विषय :– Regarding Installation of Drip Irrigation in Mango and Citrus Orchards
संदर्भः– Quotation क्रमांक Horti. /SKNCOA/2026/1920 dated:28.10.2026

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपकी फर्म की माल की आपूर्ति एवं इस्टालेशन की दरे कम पायी जाने एवं उपापन समिति की सिफारिश एवं अधिष्ठाता द्वारा दर अनुमोदन उपरान्त आपको निम्नानुसार दर पर श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के निम्नलिखित विभाग में Quotation की समस्त शर्तो के अनुसार माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन का कार्य–आदेश दिया जाता हैं।

S. No.	Item Description	Department Name	Qty	Rate without GST (Rs. Per item)	GST (Rs. Per item)	Rates with GST (Rs. Per item)
1	Lateral 16 mm pipe heavy duty grades	Horticulture Farm	800 mtr	16.00 per mtr	0.80	16.80
2	Online dripper 8.0 LPH 1.1 GPH Bard 3 mm internal diameter micro-tube		400 Nos.	6.00 per pc	0.30	6.30
3	3. Barb outlet End Line Plug 16-17 IND		50 Nos	4.00 per pc	0.20	4.20
4	Barb Coupling 16 PA BRN IND		50 Nos	4.00 per pc	0.20	4.20

नोटः– Quotation प्रपत्र की सभी शर्तो के साथ RTTP अधिनियम 2012 एवं RTTP नियम 2013 पूर्ण रूप से लागू होकर Quotation के अनुसार RTTP नियम 2013 का नियम 29(ज) आप पर पूर्वतया प्रभावी रहेगा। महाविद्यालय एवं इसके विभागों के सामग्री आपूर्ति का कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा।

1.	माल की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन का कार्य	कार्य आदेश की दिनांक से 15 दिवस में
2.	बिलः	अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के नाम से तीन प्रतियों में

शास्तिः विलम्ब से आपूर्ति पर निम्न प्रकार से शास्ति वसूली जायेगीः–

Penalty: Penalty will be collected on late supply in the following manner:-

अ	निर्धारित अवधि से 1/4 अवधि विलम्ब पर Delay up to one-fourth period of the prescribed delivery period	2.5%
ब	1/4 अवधि से अधिक आधी अवधि तक विलम्ब पर Delay exceeding one-fourth but not exceeding half of the prescribed delivery period	05%
स.	1/2 अवधि से अधिक तीन चौथाई तक अवधि विलम्ब पर Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed delivery period	7.5%
द.	3/4 अवधि विलम्ब होने पर Delay exceeding three-fourth of the prescribed period	10%

अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. संयोजक एवं सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि इसको विश्वविद्यालय पोर्टल एवं sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
5. अनुभाग अधिकारी, लेखाशाखा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
6. प्रभारी, सूचना प्रबंधन एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग केन्द्र (CIMCA) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
7. रक्षित पत्रावली।

विभागाध्यक्ष